कार्यालय नगर पंचायत जट्टारी (अलीगढ़)
Office- Nagar Panchayat Jattari (Aligarh)

श्री रमेशचन्द पुत्र गेंदा सिंह, पूरनचन्द पुत्र चतर सिंह, सुखवीरी पत्नी जुगेन्द्र सिंह, किशन सिंह पुत्र प्यारे, रामवीर आदि गाटा सं0–108, 293, 282/1, 289, 282/2, 294 मोहल्ला/ग्राम–फाजिलपुर, नांगल कला, जट्टारी कस्बा– जट्टारी तहसील–खैर, जिला– अलीगढ़

संख्या–मीमो/न0पं0जट्टारी/2024–25 दिनांक–24/05/2024

आलेख–पत्र

आपके द्वारा प्रस्तुत मानचित्र मय प्रार्थना पत्र के बाबत नवीन भवन/कालोनी/मार्केट/माल/दुकान निर्माण पर स्वीकृत प्रदान करने सम्बन्धी है पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृती प्रदान की जाती है।

1. पृदत्त स्वीकृती एक वर्ष के लिये वैध होगी।
2. जायदाद सम्बन्धी किसी विवाद के पाये जाने पर स्वीकृती स्वतः निरस्त होगी।
3. भवन/कालोनी/मार्केट/माल/दुकान से निकलने वाले नाले परनाले हस्वं कायदा खस्सी व ढके होने चाहियें।
4. भवन/कालोनी से निकलने वाले पानी के निकास की व्यवस्था भवन स्वामी को स्वतः अपने स्तर से करनी होगी।
5. भवन/कालोनी/मार्केट/माल/दुकान का निर्माण नियमानुसार लोक निर्माण/सरकारी विभाग की भूमि छोड़कर किया जायेगा।
6. मानचित्र में प्रदर्शित भूखण्ड आबादी घोशित है या नहीं इसका पूर्ण उत्तरदायित्व मानचित्र प्रस्तुतकर्ता का होगा।
7. भवन/कालोनी/मार्केट/माल/दुकान में स्वच्छ जल प्रवाहित शौचालय का ही निर्माण कराना होगा।
8. भवन/कालोनी/मार्केट/माल/दुकान से स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना होगा।
9. भवन/कालोनी/मार्केट/माल/दुकान में किसी प्रकार का प्रक्षेप नहीं डाला जायेगा।
10. भवन/कालोनी/मार्केट/माल/दुकान का निर्माण उसी भूखण्ड पर उतने ही क्षेत्रफल में किये जायेगा जिसकी स्वीकृती प्रदान की गई है।
11. भवन स्वामी को सीढ़ीयाँ अपनी ही भूमि पर निकालनी होगीं।
12. भवन/कालोनी/मार्केट/माल/दुकान का निर्माण नगर पंचायत द्वारा निर्मित उपविधि के अधीन कराना होगा।
13. भवन/कालोनी/मार्केट/माल/दुकान का निर्माण लोक निर्माण विभाग/सरकारी भूमि/राश्ट्रीय राज्य मार्ग की सीमा को छोड़कर करना होगा। तथा सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का उत्तरदायित्व स्वंय आवेदक का होगा।
14. अन्य उपबन्ध उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 के लागू होगें।
15. मानचित्र की स्वीकृति धारा 80C (आबादी) होने के उपरान्त प्रभावी होगा।
16. निकाय बोर्ड की स्वीकृति की प्रत्यासा में अन्तिम निर्णय बोर्ड बैठक का होगा।

लिपिक	अधिशासी अधिकारी	अध्यक्ष
नगर पंचायत जट्टारी	नगर पंचायत जट्टारी	नगर पंचायत जट्टारी
(अलीगढ़)	(अलीगढ़)	(अलीगढ़)

JATTARI- Suraksha Enclave -Area Chart

	Total Land Area in sq.ft						611140.28
	Total Land Area in sq.m						56776.32
	Total Land Area in acres						14.03
Type	conversion	Front(Ft)	sq.ft	No. of Plots	Area(sq.ft)	Area(sq.y)	Area(sq.m)
Type A	0.84	20	900	325	292500.00	32500.00	27173.91
Odd Plots				65	92321.00	10257.89	8576.83
		Total number of plots		390	384821.0	42757.89	35750.74

LAND AREA CALCULATION

	sq ft	sq y	sq m	% Achieved
SITE AREA	611140.28	67904.48	56776.32	
PLOTTING AREA	384821.0	42757.89	35750.74	62.97
ROADS	173917.85	19324.21	16157.36	28.46
GREEN	52401.43	5822.38	4868.21	8.57

Khasra No.	Ownership
282/2	Omkari Devi D/o-Chatar Singh
	Keshan choudhary S/o Chatar Singh
	Khem Singh S/o Kanahaiya Singh
	Dan Singh S/o Kanahaiya Singh
	Puran chandra S/o Chatar Singh
	Bhagwan Singh S/o Kanahaiya Singh
	Mukhram Singh S/o Kanahaiya Singh
282/1	Kishan Singh
289	Sukhveeri W/o Joginder Singh
294	Ramveer Singh
	Nathu Singh
	Karamveer Singh
108	Ramesh chand S/o Govinda singh
	Suresh chand S/o Govinda Singh
	Dharamwati S/o Itkari Singh
293	Jahan Singh S/o Nawab Singh
	Ramesh chand S/o Govinda Singh
	Suresh chand S/o Govinda Singh

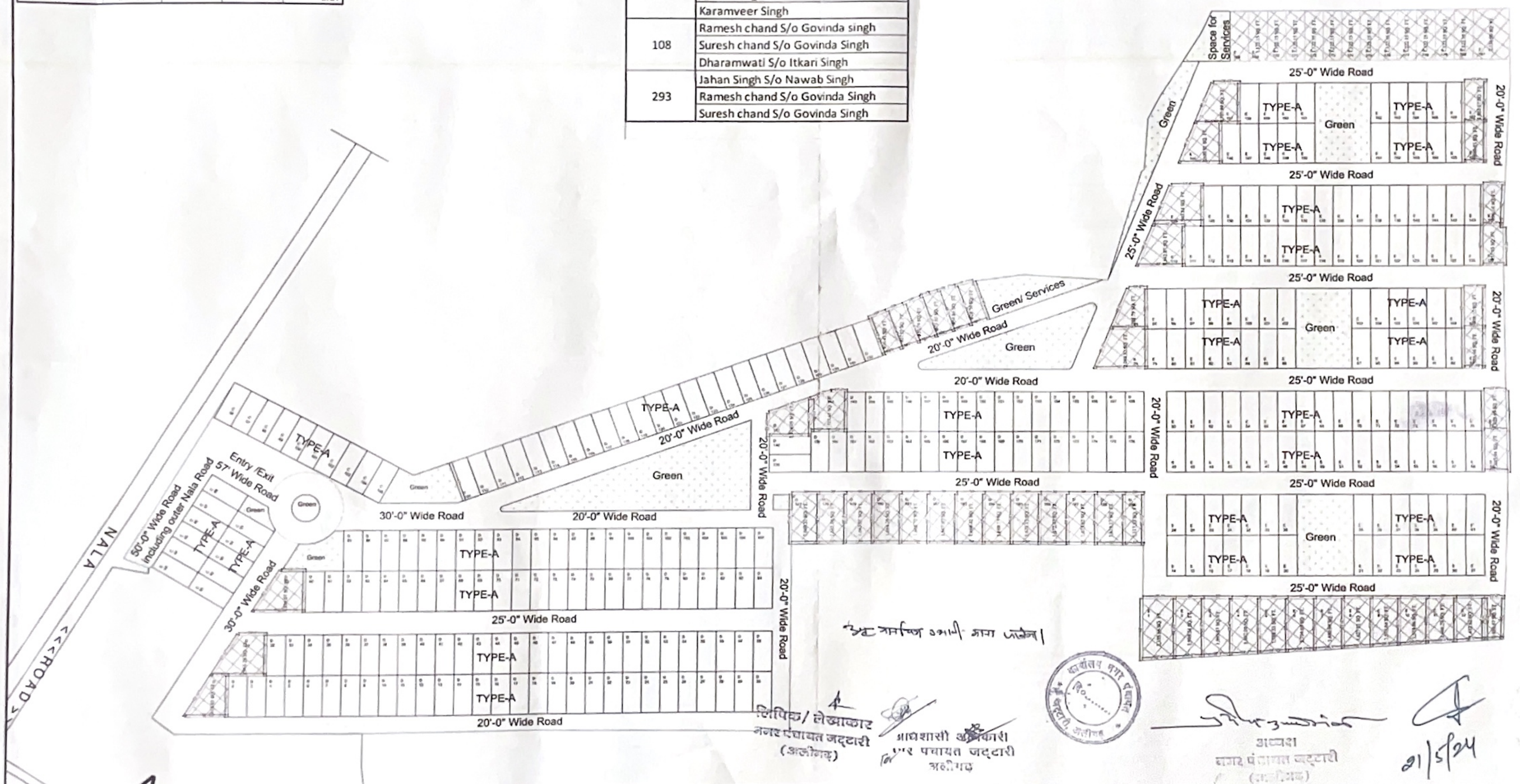

CLIENT NAME:	NEOM INFRA DEVELOPERS	DWG.NAME. : SITE PLAN	DWG.NO. : S-110
PROJECT NAME	JATTARI- ABSAY		REV.: R0
BUILDING NAME	SURAKSHA ENCLAVE		DATED: 21-05-24

ARCHITECT:
L N DEVELOPERS
Architects, Engineers &Town Planners
E-4/44 & 45 FIRST FLOOR
SECTOR-16 ROHINI, NEW
DELHI-110089, Ph:8882422565,
LNDEV.2K@GMAIL.COM